

22.12.17

वकील बादी एवं स्वयं बादी प्रकरण
में बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः दया अदम हजरी
व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौजलशुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिल्ला अभिलेखागार
है।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बंगलूर सिटी (स०मा०)